FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

भिमाराम बनाम निम्बाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ आवेदन नं. 11/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/01/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिखाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/2/2021 को पेश हो। [signature]	
03/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी अभी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/06/2021 को पेश हो।	
08/06/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की एडी अभी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/09/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

15/09/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या वे स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13/10/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

13/10/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/11/21 को पेश हो।

10/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत सिगोडिया में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत लेन-मेड आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माठे व डोळी आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है [illegible] सेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के [illegible] रहता है प्रार्थी को अपने खेत [illegible] सही ज्ञान करने हेतु पत्थरबन्दी करवाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिए प्रार्थी का नेपथबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपथबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपथबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की प.न.की नेपथबन्दी मौके पर कमिशन शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 22/11/21

कमांक / वाद / 2021 / 1352

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चिमाराम पुत्र विरमाराम वगैरा जाति जाट, नि. नागाणा तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. निम्बाराम पुत्र बगताराम वगैरा. जाति जाट, नि. नागाणा तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या –11 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – नागाणा तला, पटवार मण्डल – कानोड़, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 807 / 504 रकबा 2.7114 हैक्टयर, खसरा नम्बर 808 / 504 रकबा 3.9012 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 1353–57

दिनांकः– 22/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित [illegible] को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चिमाराम पुत्र विरमाराम
4. विप्रार्थी श्री निम्बाराम पुत्र बगताराम वगैरा 12
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु